रजिस्ट्री सं· डी॰ एल॰-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 382] नई दिल्ली, मंगलवार, अगस्त 21, 2007/श्रावण 30, 1929
No. 382] NEW DELHI, TUESDAY, AUGUST 21, 2007/SRAVANA 30, 1929

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 17 अगस्त, 2007

सा.का.नि. 557(अ).—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और भूमि सीमा शुल्क विभाग में समूह "घ" पद भर्ती नियम, 2002 को, जहां तक उनका संबंध हवलदार के पदों से है, उन बातों के सिवाय अधिक्रान्त करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और सीमा शुल्क विभाग में हवलदार और प्रधान हवलदार के समूह "ग" पदों पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ** :—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और सीमा शुल्क विभाग, हवलदार और प्रधान हवलदार (समूह 'ग' पद) भर्ती नियम, 2007 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. **लागू होना** :—ये नियम इससे उपाबद्ध अनुसूची के स्तम्भ (1) में विनिर्दिष्ट पदों पर लागू होंगे।

3. **पद-संख्या, वर्गीकरण और वेतनमान.**—उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और उसका वेतनमान वे होंगे, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तम्भ (2) से स्तम्भ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. **भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं आदि** :—उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उनसे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तम्भ (5) से स्तम्भ (14) में विनिर्दिष्ट हैं।

5. **निरर्हता** :—वह व्यक्ति,—

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है; या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पदों में से किसी पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

6. **शिथिल करने की शक्ति** :—जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

7. **व्यावृत्ति** :—इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबन्ध करना अपेक्षित है ।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान	चयन अथवा अचयन पद	सेवा में जोड़े गए वर्षों का फायदा केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1972 के नियम 30 के अधीन अनुज्ञेय है या नहीं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1. हवलदार	4200*(2007) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग', अराजपत्रित, अननुसचिवीय	2750-70-3800-75-4400/- रु.	चयन	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो
(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	दो वर्ष

भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले पदों की प्रतिशतता	प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा
(11)	(12)
100 प्रतिशत प्रोन्नति द्वारा	सिपाही की श्रेणी से प्रोन्नति द्वारा, जिसने उस श्रेणी में 3 वर्ष नियमित सेवा की है ।

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
(13)	(14)
समूह 'क' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति के संबंध में विचार करने के लिए) : एकल कमिशनरी अर्थात् वह कमिशनरी जिसका सामान्य काडर नहीं है : (i) काडर नियंत्रक प्राधिकारी द्वारा नामनिर्देशित मुख्य कार्यालय के अपर आयुक्त - अध्यक्ष (ii) काडर नियंत्रक प्राधिकारी द्वारा नामनिर्देशित मुख्य कार्यालय के अधिमानत: ज्येष्ठतम दो उपायुक्त - सदस्य (iii) आय कर आयुक्त द्वारा नामनिर्देशित आय-कर आयुक्त या आय-कर सहायक आयुक्त - सदस्य **टिप्पण** :—जहां उपर्युक्त क्रम.सं. (i) से (iii) के सदस्यों में से कोई, यथास्थिति, अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति से संबंधित नहीं है तो विभाग के बाहर का, यथास्थिति, अनुसूचित जाति या अनुसूचित	लागू नहीं होता ।

(13)	
जनजाति से संबंधित, समूह "क" अधिकारी भी विभागीय प्रोन्नति समिति के सदस्य के रूप में सहयोजित किया जाएगा ।	
संयुक्त कमिशनरी अर्थात् दो या अधिक कमिशनरी जिनका सामान्य काडर है :	
(i) संबंधित आयुक्तों के पारस्परिक परामर्श से, काडर नियंत्रक प्राधिकारी द्वारा अधिकतम तीन को, कमिशनरी के अध्यधीन प्रत्येक से अपर आयुक्त को नामनिर्देशित किया जाएगा (उनमें से ज्येष्ठतम अध्यक्ष होगा ।)	
(ii) काडर नियंत्रक प्राधिकारी द्वारा नामनिर्देशित मुख्य कार्यालय के अधिमानत: ज्येष्ठतम उपायुक्त	—सदस्य
(iii) आय-कर आयुक्त द्वारा नामनिर्देशित आय-कर उपायुक्त या आय-कर सहायक आयुक्त	—सदस्य
टिप्पण :—जहां उपर्युक्त क्रम.सं. (i) से (iii) के सदस्यों में से कोई, यथास्थिति, अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति से संबंधित नहीं है तो विभाग के बाहर का, यथास्थिति, अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति से संबंधित, समूह "क" अधिकारी भी विभागीय प्रोन्नति समिति के सदस्य के रूप में सहयोजित किया जाएगा ।	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
2. प्रधान हवलदार	2155* (2007) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग', अराजपत्रित, अननुसचिवीय	3050-75-3950-80-4590 रु.	चयन	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	दो वर्ष

(11)	(12)
100 प्रतिशत प्रोन्नति द्वारा ।	हवलदार और अभिलेखापाल की श्रेणी से प्रोन्नति द्वारा, जिन्होंने उस श्रेणी में 3 वर्ष नियमित सेवा की है ।

(13)		(14)
समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति के संबंध में विचार करने के लिए) :		लागू नहीं होता
एकल कमिशनरी अर्थात् वह कमिशनरी जिसका सामान्य काडर नहीं है :		
(i) काडर नियंत्रक प्राधिकारी द्वारा नामनिर्देशित मुख्य कार्यालय के अपर आयुक्त	—अध्यक्ष	
(ii) काडर नियंत्रक प्राधिकारी द्वारा नामनिर्देशित मुख्य कार्यालय के अधिमानत: ज्येष्ठतम दो उपायुक्त	—सदस्य	
(iii) आय-कर आयुक्त द्वारा नामनिर्देशित आय-कर उपायुक्त या आय-कर सहायक आयुक्त	—सदस्य	
टिप्पण :—जहां उपर्युक्त क्रम.सं. (i) से (iii) के सदस्यों में से कोई, यथास्थिति, अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति से संबंधित नहीं है		

(13)

तो विभाग के बाहर का, यथास्थिति, अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति से संबंधित, समूह "क" अधिकारी भी विभागीय प्रोन्नति समिति के सदस्य के रूप में सहयोजित किया जाएगा ।

संयुक्त कमिशनरी अर्थात् दो या अधिक कमिशनरी जिनका सामान्य काडर है :

(i) संबंधित आयुक्तों के पारस्परिक परामर्श से, काडर नियंत्रक प्राधिकारी द्वारा अधिकतम तीन को, कमिशनरी के अध्यधीन प्रत्येक से अपर आयुक्त को नामनिर्देशित किया जाएगा (उनमें से ज्येष्ठतम **अध्यक्ष** होगा ।)

(ii) काडर नियंत्रक प्राधिकारी द्वारा नामनिर्देशित मुख्य कार्यालय के अधिमानतः ज्येष्ठतम उपायुक्त — सदस्य

(iii) आय कर आयुक्त द्वारा नामनिर्देशित आय-कर उपायुक्त या आय-कर सहायक आयुक्त — सदस्य

टिप्पण :—जहां उपर्युक्त क्रम.सं. (i) से (iii) के सदस्यों में से कोई, यथास्थिति, अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति से संबंधित नहीं है तो विभाग के बाहर का, यथास्थिति, अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति से संबंधित, समूह "क" अधिकारी भी विभागीय प्रोन्नति समिति के सदस्य के रूप में सहयोजित किया जाएगा ।

[फा. सं. ए. 12018/3/2006-प्रशा. III]

रीटा खोराना, निदेशक (प्रशा. 3)

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, the 17th August, 2007

G.S.R. 557(E).—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Central Excise and Land Customs Department Group "D" Post Recruitment Rules, 2002 in so far as they relate to the posts of Havaldar and Head Havaldar, except as respects things done or omitted to be done before such supersession the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to Group "C" posts of Havaldar and Head Havaldar in the Central Excise and Customs Department, namely :—

1. Short title and commencement .—(i) These rules may be called the Central Excise and Customs Department Havaldar and Head Havaldar (Group "C" posts) Recruitment Rules, 2007.

(ii) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Application .—These rules shall apply to the posts specified in column (1) of the Schedule annexed to these rules.

3. Number of posts, classification and scale of pay.—The number of said posts, their classification and the scale of pay attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the said Schedule.

4. Method of recruitment, age limits, other qualification etc. .—The method of recruitment, age limits, qualification and other matters relating to the said post shall be as specified in columns (5) to (14) of the said schedule.

5. Disqualifications.— No person,—

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person;

shall be eligible for appointment to the said posts :

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

6. Power to relax. —Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

7. Saving.—Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age-limits and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Other Backward Classes in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post	Number of post	Classification	Scale of pay	Whether selection or Non-selection post	Whether benefit of added years of service admissible under rule 30 of Central Civil Services (Pension) Rules, 1972	Age limit for direct recruits
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1. Havaldar	4200* (2007) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'C', Non-Gazetted, Non-Ministerial	Rs. 2750-70-3800-75-4400	Selection	Not applicable	Not applicable

Educational and other qualification required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of Promotess	Period of probation, if any
(8)	(9)	(10)
Not applicable	Not applicable	2 years

Method of recruitment: Whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of posts to be filled by various methods	In case of recruitment by promotion/deputation/absorption, grades from which promotion/deputation/absorption to be made
(11)	(12)
100 per cent by promotion	By promotion from the grade of Sepoy with 3 years Regular Service in the grade.

If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment
(13)	(14)
Group "C" Departmental Promotion Committee (for considering promotion): Single Commissionerate that is Commissionerates having no common cadre: (i) The Additional Commissioner at Headquarter Office to be nominated by the cadre controlling authority —Chairman (ii) Two Deputy Commissioner preferably senior-most at Headquarter Office to be nominated by the Cadre Controlling authority —Member (iii) The Deputy Commissioner of Income Tax or Assistant Commissioner of Income Tax to be nominated by the Commissioner of Income Tax —Member	Not applicable

(13)

Note : Where none of the member at serial numbers (i) to (iii) above belongs to the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes, as the case may be, a Group "A" officer from outside the Department belonging to the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes, as the case may be, shall also associate as a member of the Departmental Promotion Committee.

Composite Commissionerates namely two or more Commissionerates having common cadre :—

(i) The Additional Commissioner from each of the Commissionerates subject to a maximum of three to be nominated by cadre controlling authority by mutual consultation with Commissioners concerned (the seniormost among them shall be the —Chairman

(ii) The Deputy Commissioner preferably senior-most at Headquarters Office to be nominated by the Cadre Controlling authority —Member

(iii) The Deputy Commissioner of Income Tax or Assistant Commissioner of Income Tax to be nominated by the Commissioner of Income Tax —Member

Note : Where none of the member at serial numbers (i) to (iii) above belongs to the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes, as the case may be, a Group "A" officer from outside the Department belonging to the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes, as the case may be, shall also associate as a member of the Departmental Promotion Committee.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
2. Head Havaldar	2155* (2007) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'C', Non-Gazetted, Non-Ministerial	Rs. 3050-75-3950-80-4590	Selection	Not applicable	Not applicable

(8)	(9)	(10)
Not applicable	Not applicable	2 years

(11)	(12)
100 per cent by promotion	By promotion from the grade of Havaldar and Record Keeper with 3 years Regular Service in the grade.

(13)	(14)
Group "C" Departmental Promotion Committee (for considering promotion) : Single Commissionerate that is Commissionerates having no common cadre : (i) The Additional Commissioner at Headquarter Office to be nominated by the cadre controlling authority —Chairman	Not applicable

(13)

(ii) Two Deputy Commissioner preferably senior-most at Headquarter Office to be nominated by the Cadre Controlling authority —Members

(iii) The Deputy Commissioner of Income Tax or Assistant Commissioner of Income Tax to be nominated by the Commissioner of Income Tax —Member

Note : Where none of the member at serial numbers (i) to (iii) above belongs to the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes, as the case may be, a Group "A" officer from outside the Department belonging to the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes, as the case may be, shall also associate as a member of the Departmental Promotion Committee.

Composite Commissionerates namely two or more Commissionerates having common cadre :—

(i) The Additional Commissioner from each of the Commissionerates subject to a maximum of three to be nominated by cadre controlling authority by mutual consultation with Commissioners concerned (the senior most among them shall be the —Chairman

(ii) The Deputy Commissioner preferably senior-most at Headquarters Office to be nominated by the Cadre Controlling authority —Member

(iii) The Deputy Commissioner of Income Tax or Assistant Commissioner of Income Tax to be nominated by the Commissioner of Income Tax —Member

Note : Where none of the member at serial numbers (i) to (iii) above belongs to the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes, as the case may be, a Group "A" officer from outside the Department belonging to the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes, as the case may be, shall also associate as a member of the Departmental Promotion Committee.

[F. No. A-12018/3/2006-Ad. III B]

RITA KHORANA, Director (Ad. III)

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.